

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व अपील संख्या: 19/2017

दायर दिनांक 15.06.2017



Web Copy - Not Official

अपीलार्थी	प्रत्यर्थीगण
<p>1. मोहनराम पुत्र सेवाराम, उम्र-60साल, जाति-जाट, निवासी-खाटूखुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>1. सुखाराम पुत्र सेवाराम, उम्र-58साल, 2. नानी पुत्री सेवाराम, उम्र-55साल, 3. लिछमा पुत्र सेवाराम, उम्र-40साल, 4. राजूराम पुत्र रादेवाराम, उम्र-24साल, 5. मन्जू पुत्री रादेवाराम, उम्र-26साल, 6. मुन्नी पुत्री रादेवाराम, उम्र-22साल, 7. भोलीदेवी पत्नी रादेवाराम, उम्र-45साल, 8. तिलोक पुत्र रामकुँवार, उम्र-25साल, 9. गुलाब पुत्री रामकुँवार, उम्र-27साल, 10. राजु पुत्री रामकुँवार, उम्र-26साल, 11. प्रियंका पुत्री रामकुँवार, उम्र-23साल, 12. गोपाल पुत्री रामकुँवार, उम्र-22साल, 13. नानूडी पत्नी रामकुँवार, उम्र-50साल, समस्त,जाति-जाट, निवासी-खाटूखुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 14. कल्याणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह, उम्र-50साल, 15. बोदूसिंह पुत्र मोगसिंह, उम्र-35साल, 16. शम्भूसिंह पुत्र मोगसिंह, उम्र-30साल, 17. सम्पतसिंह पुत्र मोगसिंह, उम्र-25साल, 18. भँवरकँवर पत्नी मोगसिंह, उम्र-62साल, 19. विजेन्द्रसिंह पुत्र गणेशसिंह, उम्र-30साल, 20. सुमनकँवर पुत्री गणेशसिंह,</p>
	बनाम

सहायक कलक्टर
डीडवाना

		उम्र-27साल, 21. प्रेमकँवर पत्नी गणेशसिंह, उम्र-50साल, 22. नाथूसिंह पुत्र जयसिंह, उम्र-50साल, समस्त,जाति-राजपूत, निवासी-खादूसुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 23. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-खादूसुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 24. सरपंच ग्रामपंचायत-खादूसुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 25. ग्रामसेवक/पदेन सचिव, ग्रामपंचायत-खादूसुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--	--

अपील,
विरुद्ध फौतगी नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 26.06.1989 द्वारा
ग्रामपंचायत-खादूसुर्द, अन्तर्गत धारा-75 L.R.Act.


उपस्थित:-

1. पक्षकारान् उपस्थित।

--: निर्णय ::-

दिनांक 02.06.2018

अपील का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, अपीलार्थी संख्या 01 व प्रत्यर्थी संख्या 01 ता 03 के पिता स्वर्गीय सेवाराम ने प्रत्यर्थी संख्या 01 ता 06 के दादा व 07 के श्वसुर एवं प्रत्यर्थी संख्या 08 ता 12 के दादा व 13 के श्वसुर स्वर्गीय सेवाराम थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थीगण संख्या 14 व 22 के पितागण व प्रत्यर्थीगण संख्या 15 व 16 के दादा व 18 के श्वसुर, 19 व 20 के दादा व 21 श्वसुर स्वर्गीय पाबूदानसिंह व जयसिंह से उनकी संयुक्त खातेदारी का खसरा नम्बर 782 रकबा 75.01 बीघा शरहद खादूसुर्द में से पाबूदानसिंह व जयसिंह के


सहायक कलक्टर
डीडवाना

राजस्व-अपील, संख्या 19/2017
 चायर दिनांक 15.06.2017, निर्णय दिनांक 07.06.2018
 मोहनराम बनाम् सुखाराम, वगैरा।

हिस्से की भूमि रकबा 10.15 बीघा प्रतिफल अदाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 17.04.1967 को क्रय की थी। नकल पेश है।

प्रार्थना अपीलार्थी है कि,

शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 782 रकबा 75.01 बीघा में से अपीलार्थी के पिता द्वारा खरीदशुदा भूमि रकबा 10.15 बीघा भूमि में विक्रेतागण पाबूदानसिंह व जयसिंह के उत्तराधिकारियों के पक्ष में स्वीकृत किये गये फौतगी नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 26.06.1989 व 1224 दिनांक 30.05.1998 को अपास्त किया जावे तथा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र स्वर्गीय सेवाराम द्वारा खरीदशुदा भूमि में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थागण संख्या 01 ता 13 के नाम से दर्ज किया जावे।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थागण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अपीलार्थी ने अपील के समर्थन में, नामान्तरकरण संख्या 1224 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नामान्तरकरण 855 की छायाप्रति, जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2066-69 खेवट संख्या 422/364 की छायाप्रति, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प-खाटूखुर्द में पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व प्रत्यर्थागण उपस्थित। अपीलार्थी अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 855/26.06.1989 व 1224/30.05.1998 ग्रामपंचायत खाटूखुर्द को अपास्त किया जाने का निवेदन कर रहे है।

मजमें आम में कब्जा के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी जिसमें अपीलार्थी का कब्जा होना सामने आया। ऐसी स्थिति में, अपील अपीलार्थी, को स्वीकार किया जाकर, दीगर नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना

राजस्व-अपील, संख्या 19/2017
दायर दिनांक 15.06.2017, निर्णय दिनांक 07.06.2018
मोहनराम बनाम् सुखाराम, वगैरा।

—: आदेश :-

हस्तगत अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर, नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 26.06.1989 व 1224 दिनांक 30.05.1998 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रेषित है कि, उक्त दौनों प्रकरणों में पक्षकारान को पुनः सुनकर नियमानुसार नामान्तरकरण पारित करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)

R.A.S.

सहायक कलक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-खाटूखुर्द

निर्णय, आज दिनांक 07.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

R.A.S.

सहायक कलक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-खाटूखुर्द